भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4667
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

जौनपुर में मामलों का निपटान

4667. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

श्री देवेश शाक्यः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के कारण दीवानी, आपराधिक और पारिवारिक विवादों के निपटान में बहुत विलंब हो रहा है और यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार कुल लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जौनपुर जिले में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की तुलना में कितने पद रिक्त हैं और सरकार द्वारा उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या जिला न्यायालय परिसर में पर्याप्त कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं के कक्ष, प्रतीक्षालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो क्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए किसी विशेष योजना/बजट को मंजूरी दी गई है ; और

(घ) क्या पारिवारिक न्यायालयों में वैवाहिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता तंत्र को मजबूत करने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति और मामलों के प्रबंधन संबंधी डिजिटल प्रणाली के लिए कोई कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है । उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 17 मार्च 2026 तक लंबित मामलों का कुल विवरण निम्नलिखित है:

जिला	सिविल मामले	दांडिक मामले	कुल योग
जौनपुर उत्तर प्रदेश	67,284	1,38,639	2,05,923

31 जनवरी 2026 तक, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित 5 पारिवारिक न्यायालयों में 8,289 मामले लंबित हैं।

(ख) : न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों से संबंधित जिलावार जानकारी केंद्र द्वारा नहीं रखी जाती है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का दायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 233 एवं 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती संबंधी नियम एवं विनियम बनाती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मालिक मजहर सुल्तान वाले मामले में पारित आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समयसीमाएं निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों एवं संबंधित उच्च न्यायालय को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए करना होता है ।

(ग) : राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक दायित्व राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों पर है। यद्यपि, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार 1993-94 से केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित निधि बंटवारे के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2,931 न्यायालय भवन और 2,524 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं और अतिरिक्त 274 न्यायालय भवन और 308 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं । चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य को 36.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) : सरकार पारिवारिक न्यायालयों में मध्यस्थता और परामर्श सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को बढ़ावा दे रही है ताकि सौहार्दपूर्ण समझौते हो सकें और मुकदमेबाजी का बोझ कम हो सके, क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक उपायों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ए.डी.आर. तंत्रों के उपयोग से न्यायपालिका पर बोझ कम होने और इस प्रकार देश के नागरिकों को समय पर न्याय मिलने की आशा है। सरकार इन तंत्रों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए नीतिगत और विधायी हस्तक्षेप कर रही है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 पारिवारिक न्यायालयों को मुकदमेबाजी आरंभ करने से पहले समझौते के प्रयास करने का आदेश देती है, जिसमें पारिवारिक विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता और सुलह के महत्व पर बल दिया गया है।
